National Commission for Protection of Child Rights

Government of India

सत्यमेव जयते

NCPCR

नई दिल्ली

दिनांक 8 सितंबर, 2016

बच्ची के यौन शोषण पर मौन थी पुलिस, राष्ट्रीय बाल आयोग की पहल से FIR दर्ज

एक बार फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) बच्चों के हक व उनके अधिकारों की रक्षा करने में सहायक बना जब आयोग की पहल पर पुणे पुलिस ने FIR दर्ज किया.

पुणे के एक पिता ने बच्ची के यौन शोषण की शिकायत पुलिस से कराने की गुहार आयोग से की थी, जिसपर त्वरित अमल करते हुए बाल आयोग ने पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करने व पीड़ित परिवार को यथा संभव मदद करने को कहा.

मामला 5 सितंबर, 2016 का है जब NCPCR अध्यक्ष श्रीमति स्तुति कक्कड़ को बच्ची के माता-पिता ने ई-मेल के जरिए अपनी व्यथा बताई, साथ ही स्थानीय पुलिस की लापरवाही का किस्सा बताया.

ई-मेल में कहा गया कि पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उनकी 5 साल की बेटी के साथ यौन शोषण व यौन दुराचार किया. उनकी बेटी ने डर-सहम कर यह सारी बात बताई. चूंकि वो इस शहर में नए हैं, उनका परिवार लाचार व असहाय महसूस कर रहा है और पुलिस भी मदद नहीं कर रही. आयोग से आग्रह है कि हमें न्याय दिलाने में पुलिस-प्रशासन से सहयोग करने का आदेश दें. उन्हे यह भी डर है कि आरोपी परिवार फिर से यह घिनौना काम कर उनकी बच्ची को धमका सकता है. परिवार 8 माह पहले इस शहर में आया था.

आयोग सदस्य, श्री यशवंत जैन ने पुणे पुलिस कमिश्नर को अगले दिन पत्र लिखकर FIR दर्ज कर पीड़ित परिवार की सुरक्षा व आरोपी के खिलाफ POCSO Act, 2012 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया. साथ ही केस में आरोपी पर किए गए सभी कार्रवाई और यथास्थिति आयोग से साझा करने को कहा. पत्र में केस से संबंधित सभी जानकारी व आवश्यक कागजात आयोग को 7 दिन में प्रस्तुत करने को कहा गया है.

आयोग के आदेश पर अमल करते हुए पुलिस ने 6 सितंबर को FIR दर्ज किया.

##